छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन,नया रायपुर

क्रमांक / F6-12/2015/20-तीन रायपुर, दिनांक :02.03.16

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला ....(छ.ग.)

विषय :– जिले के अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (बी.एड.कालेज) के बी.एड. प्रशिक्षार्थियों के शाला अनुभव कार्यक्रम (स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम) के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :– आपको संबोधित संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का पत्र क्रमांक 7803 दिनांक 26.12.15.

–––00–––

राज्य के विश्वविद्यालयों / राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार मार्गदर्शिका के अनुसार द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रथम वर्ष 04 सप्ताह के शाला अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत 02 सप्ताह किसी मिडिल स्कूल एवं 02 सप्ताह किसी अन्य हाईस्कूल / हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्य किया जाना है। इस मार्गदर्शिका को छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक एफ 6–13 / 2015 / 20–तीन / दिनांक 17.08. 2015 के माध्यम से जारी किया गया है जिसे एस.सी.ई.आर.टी.के वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

मार्गदर्शिका के अनुसार अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों के प्रशिक्षार्थियों के शाला अनुभव कार्यक्रम हेतु शालाओं का आबंटन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक सत्र किया जावेगा। इस हेतु शाला के प्राचार्य / प्रधानाध्यापक अधिकृत नहीं होंगे।

शाला अनुभव कार्यक्रम के लिए निजी शिक्षा महाविद्यालयों को विद्यालय उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय स्तर पर कठिनाई आती है। अतः इस संबंध में अपने जिले में संबंधित निजी शिक्षा महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों तथा मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापकों व हाईस्कूल / हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को भी आमंत्रित करते हुए एक बैठक आयोजित कर शाला का आबंटन करें। आपके द्वारा किया गया आबंटन मात्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। शाला आबंटन कार्य के समय निम्नानुसार बातों पर ध्यान रखा जावें –

1. शाला अनुभव कार्यक्रम का कार्य छात्राध्यापकों के द्वारा दो–दो के समूह में किया जावेगा।
2. 150 तक की दर्ज संख्या वाली शालाओं को छात्राध्यापकों के अधिकतम दो समूह (चार छात्राध्यापक) भेजा जा सकेगा।

3. 150 से 200 तक की दर्ज संख्या वाले शालाओं में छात्राध्यापकों के अधिकतम तीन समूह (छः छात्राध्यापक) भेजा जा सकेगा।

4. 250 से अधिक दर्ज संख्या वाले शालाओं में छात्राध्यापकों के अधिकतम चार समूह (आठ छात्राध्यापक) भेजा जा सकेगा।

5. यदि किसी शाला में कुल दर्ज संख्या 100 से कम हो, तो इस शाला में छात्राध्यापकों को नहीं भेजा जावेगा।

6. प्रत्येक महाविद्यालय को आबंटित शालाओं की सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि संबंधित महाविद्यालय, उनके लिए आबंटित शालाओं के प्राचार्यों के उन्मुखीकरण का कार्य अनिवार्यतः करें।

इस प्रकार से उक्त बैठक में प्रत्येक महाविद्यालय को आबंटित शालाओं की सूची तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि संबंधित महाविद्यालय, उनके लिए आबंटित शालाओं के प्राचार्यों के उन्मुखीकरण का कार्य अनिवार्यतः करें। कृपया उक्तानुसार तैयार की गयी सूची की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्त्ता एवं संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.,रायपुर को उपलब्ध करावें। इस हेतु अधिक जानकारी एस.सी.ई.आर.टी.से प्राप्त की जा सकती है।

सही/–
(सुब्रत साहू)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक.............

पृ. क्रमांक/ F6-12/2015/20-3
प्रतिलिपि :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,छ.ग.शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, समस्त बी.एड.संचालित विश्वविद्यालय ....को सूचनार्थ।
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर को सूचनार्थ।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचानालय, मंत्रालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, समस्त बी.एड. संचालित महाविद्यालय..............................को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/–
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पृष्ठ.क्र. / शिक्षक–शिक्षा / 30–1 बी.एड. / पाठ्यक्रम / 38 / 2016–17 / 1530 रायपुर दिनांक 21.03.2016

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,छ.ग.शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. कुल सचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
3. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर, पुराना हाईकोर्ट भवन, लिंक रोड बिलासपुर।
4. कुल सचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर।
5. कुल सचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
6. कुल सचिव, डॉ.सी.व्ही.रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोरा, जिला–बिलासपुर।
7. कुल सचिव, मेट्स विश्वविद्यालय, गुल्लू खरोरा रोड़, आरंग जिला–रायपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ....जिला ....
9. प्राचार्य, समस्त बी.एड. संचालित महाविद्यालय ....

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(संजय कुमार ओझा)
संचालक